राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– **77/2024**

GCMS No.2024/67

सुरेश कंवर पत्नी मदन सिंह जाति राजपूत निवासी हरड़िया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादिया

ब–ना–म

1. सांवत सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति राजपूत निवासी हरड़िया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बबाई जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री विजेन्द्र सैनी – वादिया की ओर से
2. श्री रोशन लाल सैनी – प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

–:निर्णय :– दिनांक 01.07.2025

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28–06–2024 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि **ग्राम हरड़िया** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि **हाल खाता संख्या नया 260** में दर्ज खसरा नंबर 1180/154 रकबा 1.2240 है. में वादिया का 1/9 हिस्से का मौका कब्जा काश्त व बाहमी बंटवारे के अनुसार अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश [illegible] के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 55 [illegible] नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बंधी राजस्व विभाग के परित्र दिनांक 06.11.2004 व [illegible] (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/20[illegible] दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्यनजर रखते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था./प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के परिप्रेक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.17 12:04:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2024/3881 दिनांक 28.08.2024 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–08–2024 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–08–2024 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' एवं प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–08–2024 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' एवं प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–08–2024 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–7'' व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादिया के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–08–2024 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–7'' व प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श नक्शा ट्रेस–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी जिला झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.17 12:04:39 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

उनवान

सुरेश कंवर

ब—ना—म

सांवत सिंह आदि

दावा बाबत **खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :— **77 / 2024** **GCMS No. 2024 / 67**

निर्णय दिनांक :— ...01:07:2025

वादिया की ओर से **श्री विजेन्द्र सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से **श्री रोशन लाल सैनी एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .01:07:2025...... को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि —

"अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28—08—2024 (प्रदर्श—"अ—1 से अ—7" व प्रदर्श नक्शा ट्रेस—"ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादिया के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28—08—2024 (प्रदर्श—"अ—1 से अ—7" व प्रदर्श नक्शा ट्रेस—"ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श नक्शा ट्रेस—"ब" के अनुसार सीमांकन करवायेंगे।"

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ...01:07:2025. को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.17 12:04:39 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं